

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग


क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु. 229 जयपुर, दिनांक:- 06.04.2018

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न रिट पीटिशन में दिये गये निर्णयों की अनुपालना में निम्नलिखित अधिसूचित मार्गों पर अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों को निस्तारण किया जाना है, अतः अन्य पात्र वाहन स्वामियों से भी इस विज्ञप्ति के जारी करने की तिथि से दिनांक 13.04.2018 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

क्रम संख्या	रिट पीटिशन संख्या	एकल मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	वाहनों की संख्या	एकल फेरों की संख्या
1	4122/21.2.18	222	ALWAR-DEEG	10	30
2	4123/21.2.18	74	BIKANER-PHALODI	1	2
3	4120/21.2.18	281	BHILWARA-CHITTOR	13	69
		430	CHITTOR-CHOTI SADRI	4	34
4	1201/24.1.18	207	NOKHA-SALASAR	1	2
5	5590/22.3.18	226	BHARATPUR-DEEG-KAMA-PAHADI	9	36
6	5593/22.3.18	46	JAIPUR-SAINTHAL	4	12
7	5594/22.3.18	410	KOTA-ITAWA	3	12
8	6298/22.3.18	95	RAWATSAR-BHADRA	1	2


आवेदन संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के समक्ष, कार्यालय समय में प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने संबंधित एवं अन्य सभी शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू होंगी। शर्तों का अवलोकन विभागीय वेब साईट transport.rajasthan.gov.in पर RPTS Tab किया जा सकता है।


6.04.2018
(आर.सी. यादव)
सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार

क्रमांक:- एफ 9 (71)परि/एसटीए/2016/मु. 230-233 जयपुर, दिनांक:- 06.04.2018
प्रतिलिपि :-

1. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने बाबत।
2. सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार भरतपुर, सीकर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, कोटा, दौसा को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने बाबत।
3. मुख्यालय नोटिस बोर्ड।
4. रक्षित पत्रावली।


6.04.2018
सचिव

राज्य परिवहन प्राधिकार